242

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1216–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 65/2014–15/निगरानी.

1– रामनरेश पुत्र मलखान सिंह
2– रामकिशोर पुत्र मलखान सिंह
3– रामलखन पुत्र मलखान सिंह
4– रामऔतार पुत्र मलखान सिंह
5– गिरिजाशंकर पुत्र मलखान सिंह
6– विनोद पुत्र मलखान सिंह
7– प्रमोद पुत्र मलखान सिंह
8– अनिल पुत्र मलखान सिंह
निवासीगण ग्राम लालोरकलां, तहसील व जिला मुरैना म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीनिवास पुत्र पन्नालाल
2– कपिलदेव पुत्र देवीराम ब्राहम्ण
निवासीगण रामनगर मुरैना म.प्र.
3– गिर्राज पुत्र छोटेलाल खटीक,
निवासी ग्राम लालोरकलां, परगना व जिला मुरैना म.प्र. ——— अनावेदकगण

.....

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान
अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा ।

.....

आदेश

(आज दिनांक 30–11–2016 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 65/2014–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता

कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचाराण न्यायालय द्वारा प्र0क0 01/2002–03/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 18–6–2003 द्वारा ग्राम लालोरकलां स्थित भूमि सर्वे नं. 804 व 806 का वंटन आवेदकगण के पक्ष में किया गया । तथा सर्वे नंबर 805 का वंटन अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–5–15 द्वारा निरस्त की । इसक आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आकयुक्त के आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकों को जिस भूमि सर्वे नंबर 805 का वंटन किया गया है उस पर उसका कब्जा पिछले 40 वर्षों से है । आवेदकगण उक्त भूमि पर अतिकामक दर्ज हैं उन्होंने अर्थदंड भी उक्त भूमि पर जमा किया है । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 लालोरकलां के निवासी न होने व भूमिहीन न होने से वंटन की पात्रता नहीं रखते हैं । उनके पास ग्राम जखोना में भूमि है । यह भी कहा गया कि नामांतरण पंजी कमांक 23 दिनांक 19–3–10 से मृतक माधौराम के हिस्से पर 1/2 वारिसान के नाम पर अनावेदक कं. 1 एवं अनावेदक कं. 2 के पिता का नामांतरण स्वीकार किया गया है । उक्त तथ्यों को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है ।

यह भी तर्क दिया कि पूर्व में दिकनांक 2–7–1996 को सर्वे नं. 805 का वंटन अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को किया गया था जिस पर आवेदकों द्वारा आपत्ति किए जाने पर वंटन आदेश दिनांक 20.9.2000 द्वारा निरस्त किया गया । अतः पुनः वंटन करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । उक्त सर्वे नं. 805 के संबंध में अनावेदक कं0 1 एवं 2 द्वारा व्यवहार वाद कमांक 3/ए/2000 पेश किया गया था जो 15–9–2000 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त

कर कब्जे के आधार पर सर्वे नं. 805 पर आवेदकों का नामांतरण किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में मूल वंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत किया था । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पक्ष में सर्वे नंबर 805 का वंटन विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया तथा नियमों का पालन किए जाने के उपरांत किया गया है । सर्वे नंबर 805 का आवेदकों से कोई संबंध नहीं है और ना ही उन्हें उक्त सर्वे नंबर के विरूद्ध निगरानी का अधिकार है । आवेदकों द्वारा कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है । उसके द्वारा उसे पट्टे पर प्राप्त भूमि सर्वे नंबर 804 का विकय अनुबंध बिना अनुमति के किया गया जिसके संबंध में उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है । आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आवेदकों एवं अनावेदकों सहित 39 लोगों को भूमि का वंटन किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदकों द्वारा केवल अनावेदकों को वंटित की गई भूमि के संबंध में यह कहना कि तहसीलदार द्वारा वंटन की कार्यवाही विधिवत तरीके से नहीं की है, किसी भी स्थिति में मान्य किये जाने योग्य नहीं है । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उन्होंने वंटन की कार्यवाही विधिवत प्रकिया अपनाते हुए नियमों के अनुरूप विधिवत तरीके से की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एवं निगरानी कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है कि अपील अथवा निगरानी वही व्यक्ति कर सकता है जो हितबद्ध पक्षकार हो या व्यथित पक्षकार हो । आवेदकगण प्रश्नाधीन सर्वे नं. 805 में ना तो हितबद्ध पक्षकार है और ना

ही व्यक्ति पक्षकार । आवेदकों द्वारा सर्वे नं. 805 जिसका वंटन अनावेदकों को हुआ है पर 40 वर्षों से निरंतर कब्जे के आधार पर अपील/निगरानी की गई है इस संबंध में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 40 वर्षों के आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख में नहीं हैं । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदकों को सर्वे नं. 804 एवं 806 का वंटन अहस्तांतरणीय हुआ था जिसमें से उनके द्वारा बिना अनुमति लिए सर्वे नं. 804 का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है, जिसके संबंध में उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है । अपर आयुक्त ने प्रकरण की विवेचना करते हुए यह भी पाया है कि आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण को लंबायमान रखना चाहते हैं । जबकि उनका अनावेदकों को आवंटित भूमि सर्वे नं. 805 से कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई हित निहित है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10–3–16 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर